न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 53 / 2021

1. इन्द्रसिह पुत्र श्री फुलसिंह जाति राजपूत निवासी मलसीसर

वादी

बनाम

1. रामावतार शर्मा पुत्र औंकारमल जाति ब्राहमण निवासी मलसीसर
2. एसबीबीजे (स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर) शाखा मलसीसर जरिये शाखा प्रबन्धक
3. बीओबी (बैंक ऑफ बड़ौदा) शाखा मलसीसर जरिये शाखा प्रबन्धक
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत धोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय

निर्णय दिनांक 14.12.2021

वादी द्वारा जरिये अभिभाषक वाद पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम मलसीसर स्थित हाल भूमि ख0न0 1002 रकबा 2.65 है0, ख0न0 1004 रकबा 1.42 है0, ख0न0 1085 रकबा 1.55 है0 एवं ख0न0 1291 / 1003 रकबा 0.23 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 5.85 है0 भूमि वादी की खातेदारी काश्तकारी भूमि है। वादी ग्राम मलसीसर स्थित भूमि ख0न0 1084 रकबा 4.30 है0 में रास्ते के पूर्व दिशा में 1.55 है0 भूमि पर काबिज है जिसको वादी अपने पूर्वजो के समय से कब्जा काश्त करता आ रहा है एवं मौके पर शांतिपूर्वक काबिज है। लेकिन राजस्व रिकार्ड नक्शा सीट में वादी का ख0न0 1085 प्रतिवादी न0 1 की भूमि ख0न0 1084 के उतरी पश्चिमी दिशा में निर्दिष्ट / तरमीम है जो गलत है एवं काबिले दुरूस्त है। अतः वाद स्वीकार फरमाया जाकरख0न0 1085 व 1084 का राजस्व रिकार्ड नक्शा सीट में मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार सही तरमीम करवाकर नक्शा सर्वेसीट को दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 ने इकबालिया जवाब पेश कर वाद पत्र के अनुसार मौके पर काबिज काश्तकार के अनुसार ख0न0 1085 व 1084 की राजस्व नक्शा सीट दुरूस्त किया जाना स्वीकार किया है। तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 9.11.2021 में स्पष्ट कि है कि वादी श्री इन्द्रसिह ख0न0 1084 रकबा 4.30 है0 में रास्ते के पूर्व दिशा में 1.55 है0 भूमि पर काबिज है तथा प्रतिवादी रामावतार पुत्र औंकारमल ख0न0 1085 रकबा 1.55 है0 पर काबिज है। अतः मुताबिक कब्जा काश्त राजस्व नक्शा सीट दुरूस्त / तरमीम किया जाना उचित है। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में अपना स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट पर मनन किया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के इकबालिया जवाब पर गौर किया। तमाम साक्ष्य सबूतो एव दस्तावेजात के आधार पर वाद स्वीकार किया जाकर ख0न0 1085 व 1084 के राजस्व नक्शा सीट में मौके पर काबिज काश्तकार के अनुसार नक्शा सीट को दुरूस्त किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः ग्राम मलसीसर स्थित भूमि ख0न0 1084 रकबा 4.30 है0 में वादी के कब्जे काश्त की रास्ते की पूर्व दिशा में 1.55 है0 भूमि की तरमीम राजस्व नक्शा सीट में ख0न0 1085 के रूप में तथा ख0न0 1085 रकबा 1.55 है0 भूमि को ख0न0 1084 में शामिल कर राजस्व नक्शा सीट मे नवीन तरमीम कर राजस्व नक्शा सीट दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

(साधुराम जाट) 14/12/21
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर